

14700

12803/10

(90)

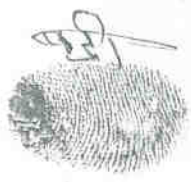


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 604287



1. भूमि का प्रकार - कृषि भूमि
2. मौहल्ला/ग्राम - मौजा नगला सदोला नालागल न पहेल
3. मापन इकाई (हैक्टेयर) रकबा - 0.484 हैक्टेयर
4. सम्पत्ति का प्रकार - कृषि भूमि
5. पेडों का मूल्यांकन - नहीं
6. बोरिंग/कुआ/अन्य - नहीं



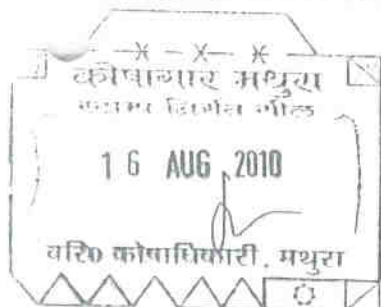
Signature





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 604288



(2)

7. प्रतिफल की धनराशि - 40,00,000/- रुपये
 8. स्टाम्प हेतु मालियत - 40,00,000/- रुपये
 9. स्टाम्प देय - 2,80,000/- रुपये
 10. सरकारी दर भूमि 20,00,000/- रुपये प्रति एकड़ जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ सं० 23 के अन्य ग्रामों की दर के अन्तर्गत (शे) के कर्मांक 04 पर दर्ज हैं
- कार्यक्षेत्र उ०नि० मथुरा-प्रथम/द्वितीय

मथुरा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 604289



(3)

विक्रेता की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण

बद्री पुत्र श्री उदयराम निवासी ग्राम रातोहा अरागरपुर

तहसील व जिला मथुरा

क्रेता की संख्या (1)

क्रेता का विवरण

एस0 जे0 पी0 शीयल स्टेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर राम

अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111, श्री यमुनाधाम

कॉलोनी, गोवर्धन चौराहा मथुरा

Handwritten signature



Handwritten signature





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 604290



(4)

मैं कि बट्टी पुत्र श्री उदयराम निवासी ग्राम रातोहा अरामपुर तहसील व जिला मथुरा का हूँ जो कि कृषि भूमिधरी खाता संख्या 46 खसरा नंबर 190 रकबा 0.484 हैक्टेअर लगानी 7.95 रुपया सालाना स्थित मौजा नगला सदोला तहसील व जिला मथुरा सम्पूर्ण अंश मिल्कियत विक्रेता है, जिस पर विक्रेता का वास्तविक व मालिकाना कब्जा है और सरकारी कागजात माल में विक्रेता का नाम बहैसिरत मालिक भूमिधरी के दर्ज चला आता है और जिसकी बाबत विक्रेता को हर तरह के अधिकारात मालिकाना व काबिजाना व हस्तान्तरण

बट्टी



Approved





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 604291



(5)

आदि के प्राप्त हैं तथा जो हर प्रकार के विवादों झगड़े झंझटों, कर्जों जमानतों व अन्य सभी प्रकार की देनदारियों से पूर्णतया मुक्त व एक साफ है, जिस पर किसी भी वित्तीय संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष की कोई भी देनदारी आयद नहीं है, न उक्त भूमि किसी भी अधिग्रहण या सीलिंग आदि में आती है, न इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवही विचाराधीन है, न विक्रेता ने उक्त भूमि को बेचने का मुहायदाबै किसी से भी तय कर रखा है, न उक्त भूमि की विक्रेता की मिलिकयत की बाबत कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में विचार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 604292



(6)

गिन हैं तात्पर्य यह है कि उक्त भूमि हर प्रकार के विवादों, ऋणों, देनदारियों आदि से मुक्त एकमात्र विक्रेता के ही स्वागित्त की है, जिसमें अलावा विक्रेता के अन्य किसी का भी कोई हक हिरसा या सम्बन्ध नहीं है, न कोई ऐसा व्यक्ति या वस्तु या कारण है, जो विक्रेता के उक्त भूमि के बेचे जाने में किसी भी प्रकार की रुकनवट या बाधा पैदा कर सकें भूमि में सिंचाई का उपयुक्त साधन न होने के कारण उससे काश्त की अच्छी आय नहीं हो पाती है विक्रेता को रुपयों की आवश्यकता है कीमत अच्छी व अधिकतम मिल रही है

सही



Amawel





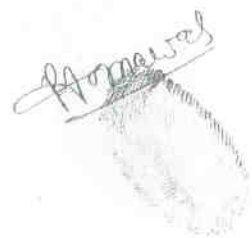
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 604293

(7)

15 AUG 2010

मूल्य में प्राप्त धन का निवेश कहीं भी कर देने से विक्रेता को भूमि में वर्तमान में हो रही काश्त की आय से कई-कई गुना अधिक व अच्छी आय हो जावेगी, जिसमें विक्रेता का सरासर लाभ है, अतः उक्त आराजी भूमि रकवा 0.484 हैक्टेअर को समस्त अधिकारों सहित जो उसकी बाबत विक्रेता को प्राप्त है, या भविष्य में प्राप्त हो सकते हो, बिना विक्रेता ने अपने पास रखे या छोड़े किसी भी हक व अधिकार के ग्रीहोल्ड सुखाधिकारों के साथ बएवज 40,00,000/-रु. (चालीस लाख रुपये) जिनके आधे 20,00,000/-रु. (बीस लाख रुपये) होते हैं, बदरत एस0 जे0 पी0 रीयल स्टेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवारी 111, श्री समूनाधाम कॉलौनी, गोवर्धन चौराहा मथुरा, क्रेता को बँ कतई कर दी न वेग दी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 604294



(8)

और मूल्य क रुपया क्रेता से ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, तिलकद्वार मथुरा शाखा के आठ किता चैक प्रथम नंबर 435698, द्वितीय नंबर 435699, तृतीय नंबर 435601, चतुर्थ नंबर 435602, पंचम नंबर 435603, छठा नंबर 435604, सातवां नंबर 435605 व आठवां नंबर 435606, प्रत्येक चैक तादादी 5,00,000/-रु. द्वारा प्राप्त किए इस प्रकार कुल मीजान 40,00,000/-रु. प्राप्त कर व मूल्य के कुल रुपये की प्राप्ति हो जाना अंगीकार कर बेची गयी भूमि से विक्रेता ने अपना कब्जा हटाकर क्रेता का वास्तविक व मालिकाना आधिपत्य करा दिनां

बड़ी



Monaral





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 604295



(9)

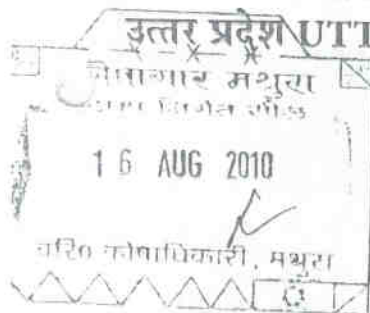
क्रेता एकमात्र स्वामी भूमि का हो गया, जिसकी बाबत वह कुल अधिकारता मालिकाना व काबिजाना व हस्तान्तरण आदि अपने प्रयोग में लावे और उसका खुद जो चाहे सो करे विक्रेता या उसके वारिष्ठान का बेची गयी भूमि से कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा और न आयन्दा भविष्य में कदापि होगा यदि बेची गयी भूमि की भिल्लिक्यत की बाबत कोई विवाद पैदा हो और कब्जा क्रेता से आंशिक या पूर्ण निकल जाए या बेची गयी भूमि पर लिया गया कोई ऋण जमानत देनदारी आदि का भार पाया जाये और उसके कारण क्रेता





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

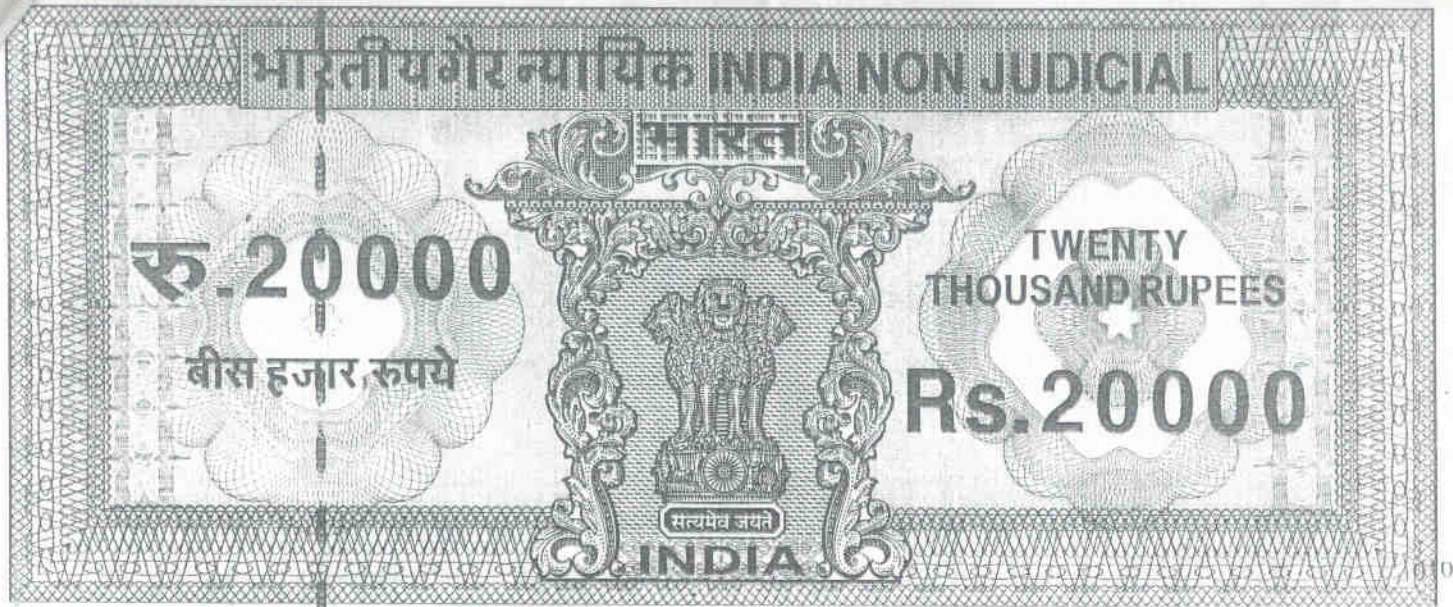
621366



(10)

को कुछ खर्च करना पड़े, तो उस कुल की अदायगी व जबाबदेही की जिम्मेदारी मय जर समन व जर लागत सूद आदि के विक्रेता व उनके वारिसान व उनकी चल-अचल सम्पत्ति के जिम्मे होगा। क्रेता वह शव हस्व जाब्ता वसूल कर लें, लिहाजा यह बैनामा वखुशी राजी खूब सोच समझकर लिख दिया, कि सनद रहे और समय पर काम आवे, जिसके हम व हमारे वारिसान आदि सदैव पाबन्द रहेंगे। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं हैं विक्रीत भूमि में पेड़ बोरिंग व फसल नहीं हैं, विक्रेता ने अपनी सम्पूर्ण अंश आराजी बेची है और





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

621367



(11)

उक्त आराजी में विक्रेता का कोई भी अंश या भाग शेष नहीं रहा है, विक्रयपत्र क्रेता-विक्रेता की उपस्थिति में उनके निर्देशानुसार ड्राफ्ट किया गया है फोटो प्रमाणित राजेन्द्र प्रसाद पाठक एडवोकेट ने किए हैं. तस्दीकी मुख्यारनामा आम दिनांक 02.08.2006 जिराकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबंधक मथुरा पर बही नंबर 6 खण्ड 123 के राफा

परी

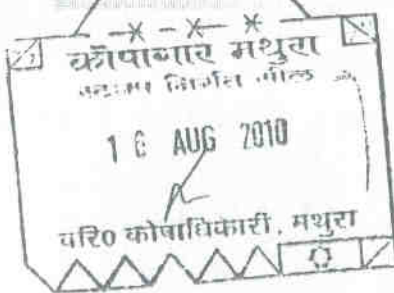


Pranav





05AA 964211



(12)

105-108 पर नंबर 441 पर दिनांक 02.08.2006 को हुई है, सारा बिहारी पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल निवासी पाठक गली, राजाधिराज बाहार मथुरा को उक्त राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल

फटो



Amawal





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

M 974485

* - * - *
कोषागार मथुरा
कृपया निर्गत न करें

0 AUG 110

(13)

जिसी गली ठहरान की ओर से उनके द्वारा हस्ताक्षरित प्रलेख प्रस्तुत करने व
वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा निवास कराने आदि के पूरे-पूरे अधिकार प्राप्त हैं.

दिनांक : 17.08.2010

टाईप किया : के० के० शर्मा, जिला पंचायत, मथुरा

ड्राफ्ट किया : सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट, रजिस्ट्री कार्यालय मथुरा

महो



Signature



गवाह

रामकृष्ण शर्मा
श्री श्री रामकृष्ण शर्मा
गौतम मंगलकृष्ण सरोध कपूर

Signature

गवाह

हिमाचल सिंह 50/0
श्री सुल्तान सिंह आलमपुर
सरोध कपूर
Himachal

क्र. 20 991-480

नाम रामेश्वर शंकरदास
जन्मदिनांक 10/08/1940

मुकुन्द
कृष्ण गोपाल मुकुंदी
स्टेशन मैनेजर लक नं. 1 भेन 18/8/10
पञ्चम रा. 18/8/10

आज दिनांक 18/08/2010 को
वही नं. 1 जिल्द नं. 6771
पृष्ठ नं. 195 पे 222 पर कमांक 12803
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मुकुन्द
मुकुन्द कुमार श्रीवास्तव
उप-निबन्धक
मथुरा-प्रथम
18/8/2010

